न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 20.05.2024

अपील संख्या 2024/49

उनवान

1– आशुतोष खण्डेलवाल आत्मज गिरिराज महाराज, निवासी वेरहोल्ज एट्रेसी 36 कार्लजू 6137 टी जर्मनी जर्ये मुख्तारआम जी0 पी0 खण्डेलवाल 2 बी 5 तलवण्डी, कोटा (राज0)

2– मुकेश आत्मज धनराज महाजन, निवासी महेश सदन, गुमानपुरा, कोटा जिला कोटा (राज0) .... अपीलांट

बनाम

1– नन्दलाल आत्मज भंवरलाल महाजन, निवासी गड़गांव (मृतक) जर्ये कायम मुकामान –
1/1– मनोज आत्मज नन्दलाल महाजन
1/2– कृष्णा आत्मज नन्दलाल महाजन
1/3– शशि आत्मज नन्दलाल महाजन
1/4– प्रेम गुप्ता आत्मज नन्दलाल महाजन
निवासीगण 03 वृन्दावन बिहार बालीता रोड़ कुन्हाडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

2– रतनबाई पुत्री भंवरलाल महाजन, निवासी मकान नं. 3195 गणेश तालाब, दादाबाडी, कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)

3– संतोष बाई पुत्री भंवरलाल महाजन, निवासी 6 आई 14 महावीर नगर विस्तार, कोटा (राज0)

4– कमलेश पुत्री भंवरलाल महाजन, निवासी मकान नं. 2181 गणेश तालाब, दादाबाडी, कोटा, जिला कोटा (राज0)

5– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां (राज0) .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री जगदीश नन्दवाना अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री भगवती बल्लभ शर्मा एवं श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 24/2018 निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1, 1/1 लगायत 1/4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम घोडीगांव, तहसील अन्ता में इंतकाल नं. 39 से आराजी साबिक खसरा नं. 395 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा हाल सैटलमेंट से पूर्व खसरा नं. 394 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 461 रकबा 11 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 49 बीघा 4 बिस्वा जो जमाबंदी संवत 2034 से 2037 में वादी के पिता स्व0 भंवरलाल

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पुत्र औंकारलाल, जाति महाजन, निवासी बडगांव के नाम दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2024 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की एक तरफा डिक्री बिना सूचना के, कानून के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत है तथा अवैध व प्रभावशून्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को धोखा देते हुए, आपराधिक कृत्य करते हुए, डिक्री पारित करवायी है जो प्रारम्भ से ही शून्य है। रेस्पोडेंट क्रम 1 नन्दलाल व उसकी माता कस्तूरीबाई ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत इस अपील में विवादित भूमि के संबंध में, वर्तमान अपीलांट व रेस्पोडेंट क्रम 2 लगायत 5 के विरूद्ध वाद व धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत पेश किया था, जिसका नं. 50/16 व 10/16 है, जिसे दिनांक 04.09.2017 को नोट प्रेस में खारिज करा लिया। इस प्रकार वादी ने वाद सं. 50/16 आदेश 23 नियम 1 के अन्तर्गत स्वेच्छा से खारिज करा लिया, जिससे वाद नोट प्रेस में खारिज होने के पश्चात उन्हीं तथ्यों पर तथा उसी वाद कारण पर दुबारा पेश नहीं किया जा सकता, जिससे नया वाद सं. 24/2018 मेन्टेनेबल नहीं होने से निर्णय दिनांक 07.02.2024 अवैध व नलिटी है।

रेस्पोडेंट क्रम 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में बन्दोबस्त विभाग के इन्द्राज को दुरूस्त कर पूरी भूमि की खातेदारी की घोषणा के वाद को नोटप्रेस करवाकर दिनांक 04.09.2017 को खारिज करवाने के पश्चात विवादित निर्णय से बन्दोबस्त विभाग द्वारा दर्ज किये इन्द्राज के अनुसार अपने 1/3 हिस्से के खातेदार रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 4 द्वारा दिनांक 02.11.2017 को सम्पूर्ण भूमि में अपने हिस्से की भूमि को सुशीला खण्डेलवाल, श्वेता खण्डेलवाल, प्रीति खण्डेलवाल को पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया। विक्रय पत्र में रेस्पोडेंट क्रम 1 लगायत 4 द्वारा स्पष्ट रूप से विवादग्रस्त भूमि में अपने आप को पूरी भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार कृषक होना स्वीकार किया तथा यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि परगना अधिकारी अन्ता के न्यायालय में पेश किये गये वाद को आपसी सहमति से दिनांक 04.09.2017 को वापिस ले लिया है तथा भूमि पर किसी प्रकार की अदालती कार्यवाही जैरकार नहीं होना स्वीकार किया था। विक्रय पत्र में यह भी स्वीकार किया कि कुल भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार अपीलांट क्रम 1 तथा 1/3 हिस्से का खातेदार अपीलांट क्रम 2 है। इसके बावजूद भी न्यायालय को धोखा देते हुए बिना अधिकार के अवैध रूप से नया वाद पेश कर तथा मिली भगत कर फ्रोड करते हुए अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा करवाकर वाद प्रस्तुत कर विवादित निर्णय लिया है। वाद की ऑर्डरशीटों का अवलोकन करने से स्पष्ट होगा कि रेस्पोडेंट्स व न्यायालय ने पक्षपात करते हुए न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत निर्णय किया है।

रेस्पोडेंट्स का भूमि के किसी भी भाग पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। इस पर भी बिना कब्जे की प्रार्थना के नया वाद घोषणा का प्रस्तुत किया है, जो मेन्टेनेबल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना निर्णय दिया है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.03.2023 को एक तरफा आदेश देने में भारी त्रुटि की है। जबकि पत्रावली में दिनांक 19.04.2023 तारीख पेशी नियत थी। अधीनस्थ

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय द्वारा अपीलांट को सम्मन बाबत कायमी तनकीयात का दिनांक 03.08.2018 को जारी किया गया था, जिसमें वाद की अगली पेशी 28.08.2018 नियत की गई थी, जिसकी तामील तहसीलदार लाडपुरा, कोटा के माध्यम से करवाने पर रिपोर्ट तामील कुनिन्दा, ''परिवार वाले मिले, लेने से इंकार किया तथा चस्पा किया'' की रिपोर्ट को सही मानने में भारी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.02.2024 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.04.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत इस अपील में विवादित भूमि के संबंध में, वर्तमान अपीलांट व रेस्पोडेंट कम 2 लगायत 5 के विरूद्ध वाद व धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत पेश किया था, जिसका नं. 50/16 व 10/16 है, जिसे दिनांक 04.09.2017 को नोट प्रेस में खारिज करा लिया। इस प्रकार वादी ने वाद सं. 50/16 आदेश 23 नियम 1 के अन्तर्गत स्वेच्छा से खारिज करा लिया, जिससे वाद नोट प्रेस में खारिज होने के पश्चात उन्हीं तथ्यों पर तथा उसी वाद कारण पर दुबारा पेश नहीं किया जा सकता, जिससे नया वाद सं. 24/2018 मेन्टेनेबल नहीं होने से निर्णय दिनांक 07.02.2024 निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने हमें सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2004(1) पेज 1, 2019(1)CJ(Civ.)(Raj.) पेज 100, 2011 (3) डी.एन.जे.(राज.) पेज 1403, आर.आर.टी. 2006(2) पेज 732 व आर.आर.डी. अक्टूबर 2007 पेज 748 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया । अतः अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 204(1) पेज 437, आर.बी.जे. (6) 1999 पेज 63, आर.आर.डी. 1994 पेज 620 व आर.आर.डी. 1994 पेज 693 की नजीरे उद्धरत की।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका का अवलोकन किया गया। आदेशिका से प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण की तलबी दिनांक 05.04.2018 से प्रारम्भ की गई। दिनांक 28.03.2022 की आदेशिका में लिखा गया कि पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादीगण दिनांक 25.05.2022 को पेश हो। दिनांक 31.03.2023 की आदेशिका में प्रतिवादी कम 2 व 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली वास्ते बहस/साक्ष्य वादी में दिनांक 10.04.2023 को नियत की गयी। दिनांक 10.04.2023 की आदेशिका में पत्रावली पुनः बहस हेतु दिनांक 17.04.2023 में नियत की गयी। दिनांक 26.07.2023 को पत्रावली जवाब प्रतिवादी में नियत की गयी। उक्त विवेचन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं में प्रतिवादीगण की सम्मन तामील का कोई हवाला नहीं है। सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादीगण को सम्मन की समुचित तामील होना आवश्यक है। सम्मन की तामील यदि स्वयं को नहीं होकर अन्य व्यक्ति को की जाती है तो उसकी समुचित विधि सी.पी.सी. में बतायी गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सम्मन का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि दिनांक 28.08.2018 की पेशी हेतु सम्मन मुकेश आत्मज धनराज को भेजा गया। जिसमें ''परिवार वाले मिले, लेने से मना किया, दो गवाहों के सामने खुले मकान पर चस्पा किया, बाद तामील रिपोर्ट पेश है। ''इसी प्रकार आशुतोष पुत्र गिरिराज को भी दिनांक 28.08.2018 की पेशी पर उपस्थिति हेतु सम्मन भेजे गये जिसमें ''परिवार वाले मिले, लेने से मना किया, दो गवाहों के सामने खुले मकान पर चस्पा किया, बाद तामील रिपोर्ट पेश है।'' उक्त सम्मनों की तामील को समुचित नहीं माना जा सकता क्योंकि परिवार वाले कौन मिले उनका उल्लेख नहीं है। दो गवाहों के सामने चस्पा किया तो गवाहों के नाम मय पता व हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। यदि खुले मकान पर चस्पा किया है तो गवाहों की जानकारी सम्मन की पुश्त पर लिखना आवश्यक है। आदेशिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 28.08.2018 के पश्चात भी पत्रावली दिनांक 17.01.2022 तक तलबी में नियत चलती रही। दिनांक 31.03.2023 को बगैर सम्मन की तामील देखे, प्रतिवादी कम 2 व 3 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट को बिना सुने निर्णय पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का सरासर उल्लंघन है तथा विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारों को सुने बगैर खातेदारी खत्म करना सरासर त्रुटिपूर्ण कृत्य है।

अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश किये गये जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता में वाद सं. 50/16 कस्तूरी बाई बनाम आशुतोष वगैरहा तथा प्रार्थना पत्र सं. 10/16 कस्तूरी बाई बनाम सरकार की आदेशिका एवं वादपत्र की नकल पेश की गयी। उक्त वाद अपीलाधीन निर्णय के वादी नन्दलाल तथा उनकी मां के द्वारा दायर किया गया था जो समान तथ्यों तथा समान आराजी पर दायर किया था। दोनों वाद में वादकारण की दिनांक की भिन्नता के अलावा दोनों वाद समान है। उक्त वाद को दिनांक 04.09.2017 को वादीगण द्वारा नोटप्रेस में खारिज करवाया गया। इसके पश्चात् दिनांक 02.11.2017 को वादी एवं उनकी बहनों द्वारा विवादित आराजी में स्वयं का 1/3 हिस्सा सुशीला खण्डेलवाल, श्वेता खण्डेलवाल, तथा प्रीति खण्डेलवाल को विक्रय कर दिया गया, उक्त विक्रय पत्र के चतुर्थ पृष्ठ पर विक्रेता वादी द्वारा अंकित किया गया कि ''यह कि अब उक्त संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण आराजी से हम प्रथम पक्ष विक्रेतागण तथा हमारे वारिसान का कोई अधिकार शेष

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नहीं रहे हैं तथा इस विक्रय पत्र के आधार पर उक्त संयुक्त खातेदारी में राजस्व रिकार्ड से हम प्रथम पक्ष विक्रेतागण का नाम हमें बिना सूचित किये हटा कर क्रेतागण अपना नाम दर्ज करा ले जिसमें हम प्रथम पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। क्रेतागण व अन्य संयुक्त खातेदार इस संयुक्त खातेदारी की भूमि को अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग करें, संयुक्त रखें या आपसी सहमति से विभाजन करा ले जिसमें हम मुकिरान को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः आज तक जो हक हकूक मालिकाना, खातेदारी उक्त बैयशुदा भूमि हिस्सा 1/3 पर प्रथम पक्ष को प्राप्त है उन्हें सबको उठाकर द्वितीय पक्ष को मुन्तकिल करते हैं तथा इकरार कर लिखे देते हैं कि अब उक्त बैयशुदा भूमि पर प्रथम पक्षकार एवं प्रथम पक्ष के वारिसान का कोई हक, उज्र नहीं रहा और नहीं आइन्दा कभी होगा अगर कोई उज्र दावा करेगा तो बरूवे इस दस्तावेज विक्रय पत्र झूठा करार पावेगा तथा हर हाल में हकरसी द्वितीय पक्ष ही पावेगी। उक्त भूमि के संबंध में एक वाद घोषणा व बंटवारे का तथा एक प्रार्थना पत्र धारा 136 का न्यायालय परगना अधिकारी, अन्ता के न्यायालय में पेश किया था जो बाद समझाइश दिनांक 04.09.2017 को ले लिया गया अब उक्त भूमि पर किसी प्रकार की अदालती कार्यवाही जैरकार नहीं है एवं न ही कोई स्थगन आदेश है।''

उक्त रजिस्ट्री के अनुसार विक्रेता वादी द्वारा यह लिखा गया है कि उक्त आराजी में हमारे कोई अधिकार शेष नहीं है तथा घोषणा, बंटवारा का वाद तथा प्रार्थना पत्र धारा 136 का बाद समझाइश दिनांक 04.09.2017 को वापस ले लिया गया। उक्त से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेंटगण द्वारा विवादित आराजी के संबंध में दावा किया गया तत्पश्चात जमीन विक्रय करने हेतु वह दावा राजीनामे–समझाइश के आधार पर नोटप्रेस किया गया तथा तत्पश्चात उसी न्यायालय में दिनांक 04.08.2023 को पुनः समान दावा पेश कर दिया गया। रेस्पोडेंटगण अपने लिखित कथनों जो रजिस्ट्री में किये गये हैं, उनसे आबद्ध है। विबन्ध के सिद्धांत (Doctrine of estoppel) के अनुसार कोई भी पक्षकार अपने पूर्व में कहे गये या स्वीकार किये गये कथन से बाध्य होता है। रेस्पोडेंट क्रम 1 वादीगण द्वारा समान वाद हेतुक पर नया वाद पेश किया गया जिसे स्वीकार कर निर्णय करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण कृत्य किया गया है। यदि वाद विड्रो करते समय नया वाद पेश करने की स्वीकृति न्यायालय से नहीं ली गई हो तो उसी समान सम्पत्ति एवं समान वाद कारण व समान पक्षकारों के मध्य नया वाद नहीं किया जा सकता। इस संबंध में 2007 आर.आर.डी. पेज 748 राजस्थान हाई कोर्ट के अनुसार आर्डर 23 नियम 1 (3) सी.पी.सी. के अनुसार यदि वाद विड्रो के साथ नया वाद पेश करने की स्वीकृति नहीं ली गई तो नया वाद समान वाद हेतुक का पेश नहीं किया जा सकता।

रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह तथ्य छिपाया गया है। इसी प्रकार 2006 (2) आर.आर.टी. पेज 732 में राजस्व मण्डल अजमेर खण्डपीठ के निर्णय में भी उक्त सिद्धांत के अनुसार नया वाद मेन्टेनेबल नहीं माना गया।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि अपील में सर्विस ऑफ सम्मन का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। हमारी राय में यदि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण को सम्मन की समुचित तामील नहीं होती है तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का सरासर उल्लंघन होगा।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रस्तुत प्रकरण में रजिस्ट्री में स्वयं समझाइश से वाद वापस लेने बाबत लिखा गया है। रेस्पोडेंट स्वयं द्वारा किये गये राजीनामे समझौते (रजिस्ट्री में) से आबद्ध है तथा नोटप्रेस से वाद प्रत्याहृत करने के पश्चात नया वाद लाने हेतु न्यायालय से ऑर्डर 23 नियम 1 (3) सी.पी. सी. में अनुमति भी नहीं ली गई, जो त्रुटिपूर्ण है।

उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के स्थापित सिद्धांतों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन होने से अपास्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2024 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Iud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– आशुतोष खण्डेलवाल आत्मज गिरिराज महाराज, निवासी वेरहोल्ज एट्रेसी 36 कार्लजू 6137 टी जर्मनी जर्ये मुख्तारआम जी0 पी0 खण्डेलवाल 2 बी 5 तलवण्डी, कोटा (राज0)
2– मुकेश आत्मज धनराज महाजन, निवासी महेश सदन, गुमानपुरा, कोटा जिला कोटा (राज0)

अपीलांट्स बनाम

1– नन्दलाल आत्मज भंवरलाल महाजन, निवासी गड़गांव (मृतक) जर्ये कायम मुकामान –
1/1– मनोज आत्मज नन्दलाल महाजन
1/2– कृष्णा आत्मज नन्दलाल महाजन
1/3– शशि आत्मज नन्दलाल महाजन
1/4– प्रेम गुप्ता आत्मज नन्दलाल महाजन
निवासीगण 03 वृन्दावन बिहार बालीता रोड़ कुन्हाडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
2– रतनबाई पुत्री भंवरलाल महाजन, निवासी मकान नं. 3195 गणेश तालाब, दादाबाडी, कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
3– संतोष बाई पुत्री भंवरलाल महाजन, निवासी 6 आई 14 महावीर नगर विस्तार, कोटा (राज0)
4– कमलेश पुत्री भंवरलाल महाजन, निवासी मकान नं. 2181 गणेश तालाब, दादाबाडी, कोटा, जिला कोटा (राज0)
5– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां (राज0)

रेस्पोडेंट्स

अपील नं **2024/49**
मु.द.नं0 **24/2018**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी ,अन्ता**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **07.02.2024**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **10 माह 07** सन् **2024**

श्री **जगदीश नन्दवाना** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **भगवती बल्लभ शर्मा** एवं श्री **उत्पल शर्मा** अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.02.2024 अपास्त किया जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **23 माह 07 सन् 2024** को जारी किया गया ।

मोहर

23/7/24
(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)